2964

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु. Rs.20000रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

Rs.20000रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु.

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 096648

श्री गणेशाय नमः

मुद्रॉक शुल्क	18400.00	ऋण पुतिस्का कमांक एन 107004
पंचायत शुल्क	2300.00	विकय मुल्य 2,30,000/–
उपकर	920.00	अक्षरी दो लाख तीस हजार रू. मात्र
अधिक शुल्क	0.00	सदर भूमि जनपद पंचायत सांवेर क्षेत्र के ग्राम
योगः—–	21620.00	अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर मे स्थित

।। श्री ।।

: : विकय लेख : :

यह विकय लेख आज दिनांक 23 फरवरी 2007 को **श्रीमति संगीता पति श्री अरूणजी खरया निवासी A / 3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर** तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. जिन्हे वर्तमान विकय लेख मे सुविधा की दृष्टि से विकेता **''प्रथमपक्ष''** इस नाम से संबोधित किया जा रहा है (जिसमे इन्होंके समस्त निष्पादक, प्रशाशक, असायनीज पदाधिकारी एवं समस्त हितबन्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है) के द्वारा **श्री प्रभातचन्द खरया अनुसंधान एवं शैक्षणिक समिति इन्दौर A / 3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री अरूण पिता प्रभातचन्दजी खरया निवासी A / 3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर** तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. जिन्हे वर्तमान विकय लेख मे सुविधा की दृष्टि से केता **''द्वितीयपक्ष''** इस नाम से संबोधित किया जा रहा है (जिसमे इन्होंके समस्त निष्पादक, प्रशाशक, असायनीज पदाधिकारी एवं समस्त हितबन्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है) के हक्क मे निम्नानुसार शर्तो एवं दायित्वों के आधीन लिखा जा रहा है।

अविरत 2

Sangeeta Kharia

20000/

20000/1, 1000/1, 100/5 = 21500/

7882 से 7888 तक

22 FEB 2007

21 FEB 2007

विक्रेता

श्री संगीता पति आलोक रस्तोगी नि. 8/3 संजय उपवन कॉलोनी इन्दौर

क्रेता

प्रजापति रस्तोगी अनुसंधान एवं औद्योगिक समिति इन्दौर 8/3 संजय उपवन कॉलोनी इन्दौर तर्फे अध्यक्ष आलोक पि. प्रजापति रस्तोगी नि. 8/3 संजय उपवन कॉलोनी इन्दौर

बिक्री 2,30,000/

हैण्ड स्वयं

सही. [illegible] स्टाम्प वेण्डर
तहसील सांवेर
तह. इन्दौर

पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	19960
नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	2495
पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	998
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	2
योग	23455

भेजना बिना प्रमाणपत्र

उपपंजीयक जिला इन्दौर के कार्यालय में सांवेर

23 FEB 2007

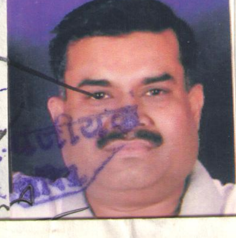

भारतीय गैर

एक हजार रुप

रु.1000

PEES

86 रसीद दस्तावेज वगैरह

मुकाम

केस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1		3	4

उप-पंजीयक

तारीख

मध्य प्रदेश MADHYA PRADES

A 949155

1. यह कि, प्रथमपक्ष के हक्क मालकी, आधिपत्य, एवं स्वत्व की कृषि भूमि ग्राम अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर के पटवारी हल्का नम्बर नया 47 व राजस्व निरी. सर्कल नं. 2 पर स्थित है, सदर भूमि नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थित है। विकयाधीन भूमि का विस्तृत वर्णन निम्नानुसार है :–

भूमि का वर्णन

कमांक	सर्वे नम्बर	रकबा	लगान
1.	177/225/1/1	0.809 हे.	4.48 रू.
योग	1	0.809 हे.	4.48 रू.

भूमि की चतुःसीमा

पूर्व मे :– श्रीमति तृप्ति खरया की भूमि
पश्चिम मे :– रणजीतसिंह की भूमि
उत्तर मेः– :– रोड़
दक्षिण मे :– गोया

2. यह कि , उपरोक्त वर्णित भूमि समस्त रेवेन्यू रेकार्ड मे प्रथमपक्ष के नाम पर अंकित है जिसे प्रथमपक्ष को विकय करने का पूर्ण औचित्य व अधिकार है।

3. यह कि , ग्राम अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर मे प्रथमपक्ष के भू स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित होकर सदर भूमि सड़क से लगी हुई है।

अविरत 3

Sangeeta Kharia

क्रमांक 7883
दिनांक
सांवेर 23 FEB 2007

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

श्री मती संगीता पति अरुण
कि खरथा
निवासी A/3 संजय उपवन
कालोनी इंदौर
रु 230000 दो लाख तीस हजार

(I) अनिल पिता नारायण
A/3 संजय उपवन कालोनी
इंदौर

(II) श्री मती ललिता पति अनिल
नि. A/3 संजय उपवन
कालोनी इंदौर

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्ता की शिनाख्त के विषय में की गई आज
तारीख 23 FEB 2007

21 FEB 2007

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 210405

4. यह कि , ग्राम अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर मे प्रथमपक्ष के भू स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है, जिसका उल्लेख इस विकयपत्र मे पेरेग्राफ कमांक 1 मे कर दिया होकर उक्त उल्लेखित भूमि की बिकी का सोदा मय भूमि स्वामित्व तथा मालकाने हक्क सहीत किमत रू.2,30,000/–अक्षरी दो लाख तीस हजार रू.मात्र मे द्वितीयपक्ष को विकय कर दी होकर विकय मुल्य मे से रू. 21,000/– अक्षरी इक्कीस हजार रू. दिनांक 07.02.2007 को बयाने मे प्राप्त कर लिये है तथा शेष रहे रू. 2,09,000/–अक्षरी दो लाख नो हजार रू. चेक क. 465251 कैनरा बैक SSI ब्रांच इन्दौर दिनांक 23.02.2007 का प्राप्त कर लिया है इस प्रकार विकय प्रतिफल की संपूर्ण राशी प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर ली है।

5. यह कि , प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से विकय प्रतिफल की संपूर्ण राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है। जिसकी प्राप्ति कि अभीस्वीकृति प्रथमपक्ष इस लेख द्वारा द्वितीयपक्ष को प्रदान करते है तथा अब विकय प्रतिफल राशी पेटे प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से कुछ भी राशि लेना शेष रही नही है।

6. यह कि , विकय भूमि भू–दान बोर्ड, मंदिर, ट्रस्ट या शासकीय पट्टे की नही है।विकय भूमि व्यवसायिक एवं आवासिंय क्षेत्र से दुर स्थित है।तथा सड़क से लगी हुई है। विकय भूमि असिंचित एक फसलीय होकर भूमि की किस्म काली है। विकय भूमि मे सिंचाई का कोई साधन कुआ नलकूप आदि नही है। विकय भूमि के आसपास की भूमि का उपयोग कृषि कार्य मे होता है। विकय भूमि मे कोई निर्माण अथवा विकास कार्य नही किया गया है। विकय भूमि मे कोई फसल अथवा वृक्ष नही है। विकय भूमि का नक्क्षा संलग्न है, जो विलेख का अंग है।

7. यह कि , सदर कृषि भूमि का वास्तविक रिक्त आधिपत्य प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को बराबर मोके पर दे दिया है उपरोक्त कृषि भूमि द्वितीयपक्ष ने अपने नाम से कय की है अब भविष्य मे द्वितीयपक्ष ही इसके एकमात्र मालिक होंगे और इसका उपयोग उवं उपभोग पिढ़ी दर पिढ़ी लेते जावेंगें।

8. यह कि , प्रथमपक्ष ने उपरोक्त उल्लेखित भूमि की बिकी योग्य एवं वैधानिक कारणों से द्वितीयपक्ष को की है अपने वारसों के हक्क व स्वत्व को नष्ट करने की नियत से नही की है उपरोक्त विकय व्यवहार मे म.प्र. भू राजस्व संहीता सन् 1959 की धारा 165 का उल्लंधन नही होता है और न ही म.प्र. कृषि जोत अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम सन् 1972 के प्रावधानों का उल्लंधन होता है।

अविरत 4

Sangeeta Kharia

क्रमांक 7884
दिनांक 23 FEB 2007
सांवेर

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

Sangeeta Kharia

श्रीमती संगीता
का निशान मेरे समक्ष ता
199...... को लिया गया
23 FEB 2007

Sangeeta Kharia

उप-पंजीयक

का निशान मेरे समक्ष ता
199...... को लिया गया।
23 FEB 2007

वी. पी. पवार
मुद्रांक विक्रेता
तहसील चौक सांवेर
तह. सांवेर जि. इन्दौर
(R) 20157
(O).........

Tripti Kharia

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 2J0406

9. यह कि , उपरोक्त उल्लेखित विकयशुदा भूमि पर प्रथमपक्ष को तथा उनके वारसों को जो भूमिस्वामीत्व तथा मालकाने हक्क प्राप्त थे वह समस्त इस विकय पत्र के द्वारा नष्ट होकर द्वितीयपक्ष को तथा उनके वारसों को प्राप्त हो गए है अब द्वितीयपक्ष उक्त कय की हुई भूमि का उपभोग तथा उपयोग अपनी इच्छानुसार वंश परंपरा तक आनंद व खुशी के साथ करने का पूर्ण वैधानिक अधिकारी हो गया है।प्रथमपक्ष या उनके वारसान भविष्य मे कभी भी केता के आधिपत्य मे किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नही करेंगे यदि की तो वह इस लेख के द्वारा निरस्त मानी जावेगी अन्यथा की दशा मे प्रथमपक्ष ही समस्त दखलअंदाजी को अपनें घर घराउ खर्चे से मनावेंगे और द्वितीयपक्ष को कोई नुकसानी नही होने देंगे।

10. यह कि , उपरोक्त विकयशुदा भूमि प्रथमपक्ष के भू स्वामीत्व एवं आधिपत्य की होकर सभी प्रकार के ऋणभार जैसे बिकी , दान , धर्म , बक्षिस , गिरवी , जमानत , चार्ज , मेंन्टेनेन्स या डिकी से मुक्त होकर इस भूमि पर बैंक या सरकारी संस्था का बोझ नही है।और न ही किसी को किसी भी लेख के द्वारा आंतरित की है। सदर भूमि सभी प्रकार के शासकीय , अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय ऋणों से मुक्त होकर द्वितीयपक्ष को ही बेचान है यदि किसी ने सदर भूमि बाबद द्वितीयपक्ष से किसी भी प्रकार का दावा या झगड़ा आपत्ति या हरकत वगैरह की तो उसका मन प्रथमपक्ष स्वयं अपने घर घराउ खर्चे से मनावेंगे द्वितीयपक्ष को खर्चे की तोषिश (नुकसानी) लगने नही देवेंगे।

11. यह कि , उक्त विकयशुदा भूमि पर जो भी भू राजस्व होगा वह आज दिनांक तक का प्रथमपक्ष ने अदा कर दिया है , तथा आज दिनांक के पश्चात से भू राजस्व की अदायगी द्वितीयपक्ष द्वारा की जावेगी।

12. यह कि , प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को आश्वस्त करते है कि उपरोक्त वर्णित विकय की जा रही भूमि मध्यप्रदेश भू–दान बोर्ड द्वारा अर्जित नही की गई है और ना ही सदर भूमि पर उक्त बोर्ड का किसी भी प्रकार का प्रभार है।

अविरत 5

Sangeeta Kharia

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 210407

13. यह कि , प्रथमपक्ष स्पष्ट करते है कि विक्रयाधीन भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे लीज अथवा लाइसेन्स पर अंतरित नही की गई है। और ना ही सदर भूमि पर किसी की सालवेन्सी अथवा जमानत दी गई है।

14. यह कि , प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को स्पष्ट करते है कि उन्होंने सदर भूमि किसी को भी हांकने जोतने या बटाई पर आंतरित नही की गई है, सदर भूमि पर प्रथमपक्ष का ही सतत व अनवरत आधिपत्य बना हुआ है।

15. यह कि , प्रथमपक्ष यह स्पष्ट करते है कि सदर विक्रयाधीन भूमि के हक्क स्वत्व मालकी एवं आधिपत्य बाबद कोई भी प्रकरण राजस्व दिवानी अथवा फौजदारी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल मे लंबित नही है।

16. यह कि , प्रथमपक्ष यह स्पष्ट करते है कि विक्रयाधीन भूमि बाबद ग्राम पंचायत या किसी प्राधिकरण द्वारा कोई भी विशीष्ट योजना प्रस्तावित नही है और ना ही सदर भूमि किसी भी प्रकार की सड़क विस्तार योजना से प्रभावित है व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा सदर भूमि उपयोग बाबद किसी भी प्रकार की कोई विशिष्ट योजना प्रस्तावित नही है।

17. यह कि प्रथमपक्ष स्पष्ट करते है कि सदर विक्रयाधीन भूमि पर किसी को किसी भी प्रकार का कोई सुखाधिकार प्राप्त नही है, और जो जो भी हक्क स्वत्व मालकी आधिपत्य व सुखाधिकार प्रथमपक्ष को सदर भूमि पर प्राप्त थे वे सब इस विक्रय पत्र पंजीयन पश्चात द्वितीयपक्ष मे वेष्ठित हो गये है, व इस विक्रय पत्र के आधार पर द्वितीयपक्ष अपना नामांतरण समस्त राजस्व लेखों मे करवा लेवे जिसमे विक्रेतापक्ष सक्रिय सहयोग क्रेतापक्ष को देवेगे।

अविरत 6

Sangeeta Kharia.

(40)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH ||6|| A 210761

सदर विक्रय पत्र प्रथमपक्ष अपनी राजी खुशी से मन व शरीर की स्वस्थ दशा मे रहकर बिना नशा पानी किए होंश हवाश मे रहकर लिखवाकर तथा पढ़वाकर के सुना । सदर विकयपत्र मे लिखा कुल मजमून मेरे स्वयं के द्वारा दी गई निजी माहिती अनुसार सही सही लिखा गया होने से बतौर स्वीकृती अपने हस्ताक्षर साक्षीगणों के समक्ष किए है सो सनद रहे। इति सदर विलेख उभयपक्ष के कहे अनुसार लिखा व पढ़कर सुनाया। दस्तुर कैलाशचन्द्र खटोड़ लिखतम लेखक ला. क. 9 उप–पंजीयक कार्यालय सांवेर। इति शुभम् :–

निष्पादक

दिनांक 23.02.2007

Sangeeta Kheria

श्रीमति संगीता खरया
(विकेता प्रथमपक्ष)

गवाह

1. सही [illegible]

नाम [illegible]

पता A/3 [illegible]

[illegible]

श्री प्रभातचन्द खर्‌या अनुसंधन एवं शैक्षणिक समिति
तर्फे अध्यक्ष श्री अरूण खरया

2. सही Tripti Kheria

(केता द्वितीयपक्ष)

नाम [illegible]

पता [illegible]

1.दस्तावेज लेखक का नामः–कैलाशचन्द्र खटोड
2.लायसन्स कमांक 9 नो
3.दस्तावेज लेखक के व्यवसाय का स्थान
उप–पंजीयक कार्या. सांवेर जि. इन्दौर म.प्र.
4.निष्पादक का नाम संगीता खरया
5.पंजी में कमांक 125 दिनांक 23.02.2007
6.ली गई फीस रू. 40 पैसे 00
7.द्वितीय एवं तृतीय प्रति रू. x पैसे x

[illegible]

दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 210762

Sangeeta Kharia

प्रथम पष्ठ के साथ संलग्न

क्रमांक 7888

दिनांक

सांवेर 23 FEB 2007

.... मूल्य के इस दस्तावेज

पक्षकार ने सम्पत्ति का बाजार मूल्य

रुपये 230000 अंकित किया है

विलेख की विषय वस्तु सम्पत्ति का

वास्तविक बाजार मूल्य रुपये 249000

स्वीकार करता है। फलस्वरूप देय स्टाम्प की

अन्तर की राशि 2600 का

प्रथम स्टाम्प लगाने को .... संलग्न है।

अतः स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 परन्तुक

'ख' के प्रावधानों के अनुसार पक्षकार द्वारा

उक्त कम स्टाम्प .... के साथ जोड़े जाते हैं

उपपंजीयक

हस्ताक्षर

पक्षकार

वी. पी. राठौड़

नायब तहसीलदार

तहसील सांवेर

तह. सांवेर जि. इन्दौर

(R) 20157

(O)

उपरोक्त के अतिरिक्त इस विलेख

में अन्य कोई काट छांट नहीं है।

उपपंजीयक

सांवेर

आज तारीख 23 FEB 2007 माह .... सन्

1995 को पुस्तक क्रमांक 1

खंड 1719 के .... पृष्ठ

.... क्रमांक 2464

पर पंजीयन किया गया।

उपपंजीयक

उप-जिला सांवेर के उप-पंजीयक की मुद्रा

The Seal of the Sub-Registrar of Sub-Distt. Sanwer

Madhya Pradesh

पंजीयन शुल्क रु. 2145 पैसे

प्रतिलिपि शुल्क रु. .... पैसे

पृष्ठांकन शुल्क रु. 2 पैसे

मुद्रांकन शुल्क रु. 25 पैसे

यो. रु. 2172 पैसे

उपपंजीयक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 949162

क्रमांक 7918 से 7919 तक

क्रमांक ....

सांवेर 23 FEB 2007

1000/-

1000/2 = 2000/-

विक्रेता

श्रीमती संगीतापति अरुणजी खरया

निवासी A/3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर

क्रेता

प्रभात चन्द्र खरया अनुसंधान एवं शैक्षणिक समिति इन्दौर A/3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर

तर्फे अध्यक्ष अरुण पि. प्रभातचन्द्र खरया जी

A/3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर

प्रयोजन

विक्रय

उप कोषालय, शविर

21 FEB 2007

श्री. पी. सफलोक

स्टाम्प विक्रेता

तहसील ... सांवेर

तह. सांवेर जि. इन्दौर

(R) 20157

(O)........

2964

23/2/07

The Seal of ... Sub-Registrar of Sub-Distt. ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 949163

क्रमांक 7919

दिनांक

सांवेर 23 FEB 2007

कोषपाल,
उप कोषालय
सांवेर

21 FEB 2007

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

2964
23/2/07

(R) 20157
(O)

उप-पंजीयक की मुद्रा
Sub-Registrar of Sub-Distt. Sanwer

2965

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

019622

उप-जिला कार्यालय के उप-पंजीयक की मुद्रा The Seal of the Sub-Registrar of Sub-Distt. Sawer

श्री गणेशाय नमः

मुद्रॉक शुल्क	9200.00
पंचायत शुल्क	1150.00
उपकर	460.00
अधिक शुल्क	0.00
योगः—	10810.00

ऋण पुतिस्का कमांक एन 107005
विकय मुल्य 1,15,000/—
अक्षरी एक लाख पंद्रह हजार रू. मात्र
सदर भूमि जनपद पंचायत सांवेर क्षेत्र के ग्राम
अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर मे स्थित

।। श्री ।।

: : विकय लेख : :

यह विकय लेख आज दिनांक 23 फरवरी 2007 को **श्रीमति तृप्ति पति श्री अनिलजी खरया निवासी A / 3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर** तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. जिन्हे वर्तमान विकय लेख मे सुविधा की दृष्टि से विकेता **''प्रथमपक्ष''** इस नाम से संबोधित किया जा रहा है (जिसमे इन्होंके समस्त निष्पादक, प्रशाशक, असायनीज पदाधिकारी एवं समस्त हितबन्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है) के द्वारा **श्री प्रभातचन्द खरया अनुसंधान एवं शैक्षणिक समिति इन्दौर A / 3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री अरूण पिता प्रभातचन्दजी खरया निवासी A / 3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर** तहसील व जिला इन्दौर म.प्र. जिन्हे वर्तमान विकय लेख मे सुविधा की दृष्टि से केता **''द्वितीयपक्ष''** इस नाम से संबोधित किया जा रहा है (जिसमे इन्होंके समस्त निष्पादक, प्रशाशक, असायनीज पदाधिकारी एवं समस्त हितबन्ध व्यक्ति भी सम्मिलित है) के हक्क मे निम्नानुसार शर्तो एवं दायित्वों के आधीन लिखा जा रहा है।

अविरत 2

Tripti Kheria

7875 से 7881 तक

$\frac{5000}{2}$, $\frac{500}{1}$, $\frac{100}{3}$, $\frac{10}{1}$ = 108101/-

क्रमांक ....

दिनांक .... 23 FEB 2007

सांवेर

विक्रेता

~~कृपित पति आतिश स्वरधारी A/3 संजय उपवन मालोनी कूरथी~~

क्रेता

~~प्रभात चारु स्वरथा अपत्य व्यस्त बौपालीक आधीती कूरथी A/3 संजयउपवन मालोनी कूरथी~~

~~लेखी कायदंपंथा अभ्यासी प्रभात चारु स्वराधारी A/3 संजयउपवन मालोनी कूरथी~~

बिक्री 1,15,000/-

हस्त अंगठे

[signature]

व्ही. पी. खटोड़
मुद्रांक विक्रेता
तहसील चौक, सांवेर
तह. सांवेर जि. इन्दौर
☎ (R) 20157
(O).........

Tripti Kharia

कोषालय
उप कोषालय
सांवेर
23 FEB 2007

स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क 10000
नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क 1250
पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क
उपकर अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क 500
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क
योग 11750

अरुण पिता प्रभात चतुर्वेदी

द्वारा उपस्थित
जिला इन्दौर के उपपंजीयक के
कार्यालय में तारीख 23 FEB 2007 को
.... 10 बजे
प्रस्तुत किया गया है।

उपपंजीयक
सांवेर जिला इन्दौर

[signature]

4698

87 रसीद दस्तावेज वगैरह 2965

मुकाम

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
2	3	4
श्री (70) / 11500 / 12500	1170	

उप-पंजीयक

तारीख 23/2

रु.5000 पाँच हजार ... FIVE THOUSAND RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

019623

1. यह कि, प्रथमपक्ष के हक्क मालकी, आधिपत्य, एवं स्वत्व की कृषि भूमि ग्राम अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर के पटवारी हल्का नम्बर नया 47 व राजस्व निरी. सर्कल नं. 2 पर स्थित है, सदर भूमि नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थित है। विकयाधीन भूमि का विस्तृत वर्णन निम्नानुसार है :-

भूमि का वर्णन

कमांक	सर्वे नम्बर	रकबा	लगान
1.	177/225/1/2 पेकी	0.405 हे.	2.24 रू.
योग	1	0.405 हे.	2.24 रू.

भूमि की चतु:सीमा

पूर्व मे :- विकय नं. की शेष भूमि
पश्चिम मे :- श्रीमति संगीता खरया की भूमि
उत्तर मे:- :- रोड़
दक्षिण मे :- गोया

2. यह कि , उपरोक्त वर्णित भूमि समस्त रेवेन्यू रेकार्ड मे प्रथमपक्ष के नाम पर अंकित है जिसे प्रथमपक्ष को विकय करने का पूर्ण औचित्य व अधिकार है।

3. यह कि , ग्राम अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर मे प्रथमपक्ष के भू स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित होकर सदर भूमि सड़क से लगी हुई है।

अविरत 3

Tripti Kharia

क्रमांक 7876
दिनांक
सांवेर 23 FEB 2007

कोषपाल,
उप कोषालय
सांवेर
23 FEB 2007

प्रथम पन्ने के साथ संलग्न

व्ही. पी. खटोड़
मुद्रांक विक्रेता
तहसील चौक सांवेर
तह. सांवेर जि. इन्दौर
(R) 20157
(O)

श्रीमती तृप्ति पति अनिल जैन
बी/3 संयम उपवन कॉलोनी
इंदौर

रु. 115000/ एक लाख पंद्रह हजार

(I) अनिल पिता प्रभातचंद्र जैन
बी/3 संयम उपवन कॉलोनी
इंदौर

(II) श्रीमती संगीता पति अरुण जैन
बी/3 संयम उपवन कॉलोनी
इंदौर

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक/पक्षकारों की
शिनाख्त के विषय में की गई आज
तारीख 23 FEB 2007
उप-पंजीयक

(81) 500Rs.

003720

4. यह कि , ग्राम अलवासा तहसील सांवेर जिला इन्दौर मे प्रथमपक्ष के भू स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है, जिसका उल्लेख इस विकयपत्र मे पेरेग्राफ कमांक 1 मे कर दिया होकर उक्त उल्लेखित भूमि की बिकी का सोदा मय भूमि स्वामित्व तथा मालकाने हक्क सहीत किमत रू.1,15,000/–अक्षरी एक लाख पंद्रह हजार रू.मात्र मे द्वितीयपक्ष को विकय कर दी होकर विकय मुल्य मे से रू. 21,000/– अक्षरी इक्कीस हजार रू. दिनांक 07.02.2007 को बयाने मे प्राप्त कर लिये है तथा शेष रहे रू. 94,000/–अक्षरी चोरानवे हजार रू. चेक क्. 465252 कैनरा बैक SSI ब्रांच इन्दौर दिनांक 23.02.2007 का प्राप्त कर लिया है इस प्रकार विकय प्रतिफल की संपूर्ण राशी प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर ली है।

5. यह कि , प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से विकय प्रतिफल की संपूर्ण राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है। जिसकी प्राप्ति कि अभीस्वीकृति प्रथमपक्ष इस लेख द्वारा द्वितीयपक्ष को प्रदान करते है तथा अब विकय प्रतिफल राशी पेटे प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से कुछ भी राशि लेना शेष रही नही है।

6. यह कि , विकय भूमि भू–दान बोर्ड, मंदिर, ट्रस्ट या शासकीय पट्टे की नही है।विकय भूमि व्यवसायिक एवं आवासिंय क्षेत्र से दुर स्थित है।तथा सड़क से लगी हुई है। विकय भूमि असिंचित एक फसलीय होकर भूमि की किस्म काली है। विकय भूमि मे सिंचाई का कोई साधन कुआ नलकूप आदि नही है। विकय भूमि के आसपास की भूमि का उपयोग कृषि कार्य मे होता है। विकय भूमि मे कोई निर्माण अथवा विकास कार्य नही किया गया है। विकय भूमि मे कोई फसल अथवा वृक्ष नही है। विकय भूमि का नक्शा संलग्न है, जो विलेख का अंग है।

7. यह कि , सदर कृषि भूमि का वास्तविक रिक्त आधिपत्य प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को बराबर मोके पर दे दिया है उपरोक्त कृषि भूमि द्वितीयपक्ष ने अपने नाम से कय की है अब भविष्य मे द्वितीयपक्ष ही इसके एकमात्र मालिक होंगे और इसका उपयोग उवं उपभोग पिढ़ी दर पिढ़ी लेते जावेंगें।

8. यह कि , प्रथमपक्ष ने उपरोक्त उल्लेखित भूमि की बिकी योग्य एवं वैधानिक कारणों से द्वितीयपक्ष को क्री है अपने वारसों के हक्क व स्वत्व को नष्ट करने की नियत से नही की है उपरोक्त विकय व्यवहार मे म.प्र. भू राजस्व संहीता सन् 1959 की धारा 165 का उल्लंधन नही होता है और न ही म.प्र. कृषि जोत अधिकतम सीमा संशोधन अधिनियम सन् 1972 के प्रावधानों का उल्लंधन होता है।

अविरत 4

Tripti Kharia

क्रमांक 7877
दिनांक ....
सांवेर 23 FEB 2007

उप पंजीयक
सांवेर
21 FEB 2007

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

Tripti Kharia

व्ही. पी. खटाऊ
मुद्रांक विक्रेता
तहसील चौक
तह. सांवेर जि. इन्दौर
(R) 20157
(O)........

निष्पादन ... के समक्ष
श्रीमती तृप्ति
का निशान मेरे समक्ष ...
23 FEB 2007
उप पंजीयक

Tripti Kharia

उप पंजीयक
सांवेर

निष्पादन ... के समक्ष
प्रमानन्द
का निशान मेरे समक्ष ...
23 FEB 2007
उप पंजीयक

Sangeeta Kharia

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

सत्यमेव जयते

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 2J0402

9. यह कि , उपरोक्त उल्लेखित विक्रयशुदा भूमि पर प्रथमपक्ष को तथा उनके वारसों को जो भूमिस्वामीत्व तथा मालकाने हक्क प्राप्त थे वह समस्त इस विक्रय पत्र के द्वारा नष्ट होकर द्वितीयपक्ष को तथा उनके वारसों को प्राप्त हो गए है अब द्वितीयपक्ष उक्त क्रय की हुई भूमि का उपभोग तथा उपयोग अपनी इच्छानुसार वंश परंपरा तक आनंद व खुशी के साथ करने का पूर्ण वैधानिक अधिकारी हो गया है।प्रथमपक्ष या उनके वारसान भविष्य मे कभी भी केता के. आधिपत्य मे किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नही करेंगे यदि की तो वह इस लेख के द्वारा निरस्त मानी जावेगी अन्यथा की दशा मे प्रथमपक्ष ही समस्त दखलअंदाजी को अपनें घर घराउ खर्चे से मनावेंगे और द्वितीयपक्ष को कोई नुकसानी नही होने देंगे।

10. यह कि , उपरोक्त विक्रयशुदा भूमि प्रथमपक्ष के भू स्वामीत्व एवं आधिपत्य की होकर सभी प्रकार के ऋणभार जैसे बिक्री , दान , धर्म , बक्षिस , गिरवी , जमानत , चार्ज , मेंन्टेनेन्स या डिक्री से मुक्त होकर इस भूमि पर बैंक या सरकारी संस्था का बोझ नही है।और न ही किसी को किसी भी लेख के द्वारा आंतरित की है। सदर भूमि सभी प्रकार के शासकीय , अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय ऋणों से मुक्त होकर द्वितीयपक्ष को ही बेचान है यदि किसी ने सदर भूमि बाबद द्वितीयपक्ष से किसी भी प्रकार का दावा या झगड़ा आपत्ति या हरकत वगैरह की तो उसका मन प्रथमपक्ष स्वयं अपने घर घराउ खर्चे से मनावेंगे द्वितीयपक्ष को खर्चे की तोषिश (नुकसानी) लगने नही देवेंगे।

11. यह कि , उक्त विक्रयशुदा भूमि पर जो भी भू राजस्व होगा वह आज दिनांक तक का प्रथमपक्ष ने अदा कर दिया है , तथा आज दिनांक के पश्चात से भू राजस्व की अदायगी द्वितीयपक्ष द्वारा की जावेगी।

12. यह कि , प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को आश्वस्त करते है कि उपरोक्त वर्णित विक्रय की जा रही भूमि मध्यप्रदेश भू–दान बोर्ड द्वारा अर्जित नही की गई है और ना ही सदर भूमि पर उक्त बोर्ड का किसी भी प्रकार का प्रभार है।

अविरत 5

Tripti Kharia

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 2J0403

13. यह कि , प्रथमपक्ष स्पष्ट करते है कि विकयाधीन भूमि किसी को भी किसी भी रूप मे लीज अथवा लाइसेन्स पर अंतरित नही की गई है। और ना ही सदर भूमि पर किसी की सालवेन्सी अथवा जमानत दी गई है।

14. यह कि , प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को स्पष्ट करते है कि उन्होंने सदर भूमि किसी को भी हांकने जोतने या बटाई पर आंतरित नही की गई है, सदर भूमि पर प्रथमपक्ष का ही सतत व अनवरत आधिपत्य बना हुआ है।

15. यह कि , प्रथमपक्ष यह स्पष्ट करते है कि सदर विकयाधीन भूमि के हक्क स्वत्व मालकी एवं आधिपत्य बाबद कोई भी प्रकरण राजस्व दिवानी अथवा फौजदारी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल मे लंबित नही है।

16. यह कि , प्रथमपक्ष यह स्पष्ट करते है कि विकयाधीन भूमि बाबद ग्रम पंचायत या किसी प्राधिकरण द्वारा कोई भी विशीष्ट योजना प्रस्तावित नही है और ना ही सदर भूमि किसी भी प्रकार की सड़क विस्तार योजना से प्रभावित है व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा सदर भूमि उपयोग बाबद किसी भी प्रकार की कोई विशिष्ट योजना प्रस्तावित नही है।

17. यह कि प्रथमपक्ष स्पष्ट करते है कि सदर विकयाधीन भूमि पर किसी को किसी भी प्रकार का कोई सुखाधिकार प्राप्त नही है, और जो जो भी हक्क स्वत्व मालकी आधिपत्य व सुखाधिकार प्रथमपक्ष को सदर भूमि पर प्राप्त थे वे सब इस विकय पत्र पंजीयन पश्चात द्वितीयपक्ष मे वेष्ठित हो गये है, व इस विकय पत्र के आधार पर द्वितीयपक्ष अपना नामांतरण समस्त राजस्व लेखों मे करवा लेवे जिसमे विकेतापक्ष सकिय सहयोग केतापक्ष को देवेगे।

अविरत 6

Tripti Kharia

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH ।।6।। A 2J0404

सदर विक्रय पत्र प्रथमपक्ष अपनी राजी खुशी से मन व शरीर की स्वस्थ दशा मे रहकर बिना नशा पानी किए होंश हवाश मे रहकर लिखवाकर तथा पढ़वाकर के सुना । सदर विक्रयपत्र मे लिखा कुल मजमून मेरे स्वयं के द्वारा दी गई निजी माहिती अनुसार सही सही लिखा गया होने से बतौर स्वीकृती अपने हस्ताक्षर साक्षीगणों के समक्ष किए है सो सनद रहे। इति सदर विलेख उभयपक्ष के कहे अनुसार लिखा व पढ़कर सुनाया। दस्तुर कैलाशचन्द्र खटोड़ लिखतम लेखक ला. क. 9 उप–पंजीयक कार्यालय सांवेर। इति शुभम् :–

निष्पादक

दिनांक 23.02.2007

Trupti Kharia

श्रीमति तृप्ति खरया
(विक्रेता प्रथमपक्ष)

गवाह

1. सही [signature]

नाम [handwritten]

पता A/3 [handwritten]

श्री प्रभातचन्द खरया अनुसंधन एवं शैक्षणिक समिति
तर्फे अध्यक्ष श्री अरूण खरया

(क्रेता द्वितीयपक्ष)

2. सही Sangeeta Kharia.

नाम [handwritten]

पता [handwritten]
7/3 [handwritten]

1.दस्तावेज लेखक का नामः–कैलाशचन्द्र खटोड
2.लायसन्स कमांक 9 नो
3.दस्तावेज लेखक के व्यवसाय का स्थान
उप–पंजीयक कार्या. सांवेर जि. इन्दौर म.प्र.
4.निष्पादक का नाम तृप्ति खरया
5.पंजी में कमांक 123 दिनांक 23.02.2007
6.ली गई फीस रू. 40 पैसे 00
7.द्वितीय एवं तृतीय प्रति रू. x पैसे x

दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 949164

क्रमांक ...7920

दिनांक ......

सांवेर 23 FEB 2007

1000/1 = 1000/-

1000/-

विक्रेता

द्वारा पति आशीष रवरया नि. ए/3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर

21 FEB 2007

क्रेता

पूर्वीय स्टाम्प

द्वारा

स्व.

प्रभातचन्द्र खरया अनुसंधान एवं शैक्षणिक समिति इन्दौर ए/3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्रीमती प्रभातचन्द्र खरया नि. ए/3 संजय उपवन कालोनी इन्दौर

व्ही. पी. खटोड़
मुद्रांक विक्रेता
नहर चौक सांवेर
तह. सांवेर जि. इन्दौर
(R) 20157
(O)..........

प्रा
2865
23/2/07

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 02AA 692586

प्रथम पृष्ठ के साथ संलग्न

Tripti Kharia

क्रमांक 7881
दिनांक 23 FEB 2007
सांवेर

M मूल्य के इस दस्तावेज पक्षकार ने सम्पत्ति का बाजार मूल्य रुपये 11500 अंकित किया
विलेख की विषय वस्तु रुपये 11500
वास्तविक बाजार मूल्य रुपये ....
स्वीकार करता है। फलस्वरूप .... (100)
प्रथम पृष्ठ के लिये ....
स्टाम्प लगाने को पक्षकार सहमत है।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 ....
के प्रावधानों के अनुसार ....
इस कम स्टाम्प ....

.... हस्ताक्षर
.... पक्षकार
.... पक्षकार

उपर के अतिरिक्त इस विलेख में अन्य कोई काट छाट नहीं है।

उपपंजीयक
सांवेर

व्ही. पी. खटोड़
मुद्रांक विक्रेता
तहसील चौक सांवेर
तह. सांवेर जि. इन्दौर
☎ (R) 20157
(O) ....

02AA 692038

23 FEB 2007
आज तारीख .... माह .... सन्
1995 को पुस्तक क्रमांक 1
खंड 1719 के 6 पृष्ठ
7-12 .... क्रमांक 2965
देकर पंजीयन किया गया।

उपपंजीयक

उप-जिला सांवेर के उप-पंजीयक की मुद्रा
The Seal of the Sub-Registrar of Sub-Distt. Sanwer

पंजीयन शुल्क रु. 1145 पैसे ....
नकली शुल्क रु. .... पैसे ....
पृष्ठांकन शुल्क रु. .... पैसे ....
नुकल शुल्क रु. 25 पैसे ....
अन्य .... पैसे ....
1170

उपपंजीयक

उप-जिला सांवेर के उप-पंजीयक की मुद्रा
The Seal of the Sub-Registrar of Sub-Distt. Sanwer